कार्यालय जिलाधिकारी सुलतानपुर

संख्याः 1837 /सात–भूलेख दिनांक : 14 मई, 2019

आदेश

परिषदादेश संख्या–427/1–18–2017/क0सेल/10/2004टीसी–2, दिनांक 12.12.2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन में जनपद स्तरीय प्रयोक्ता प्रभार समिति की बैठक दिनांक 12.01.2018 में यह निर्णय लिया गया कि तहसीलों में मैनपावर रखे जाने हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट के साथ सी0सी0सी0 उत्तीर्ण अथवा डोयक द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कोई एक वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए न्यूनतम टंकण गति 25 शब्द प्रति मिनट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से तहसील कम्प्यूटर केन्द्रों हेतु तकनीकी मैनपावर (कार्य के अनुसार अनुबन्ध के आधार पर) का चयन किया जाय। कार्यालय पत्र संख्या–936/सात–भूलेख /03, दिनांक 05.03.2018 के द्वारा प्रेस–विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये, जिसमें कुल 346 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। आवेदन पत्रों की संवीक्षा हेतु समिति का गठन करते हुए संवीक्षा करायी गयी, जिसमें कुल 239 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा हेतु बुलाया गया। टंकण परीक्षा के क्रम में दिनांक 20.07.2018 को साक्षात्कार की कार्यवाही की गयी।

सूच्य है कि शासनादेश संख्या–1710/78–2–2016–135 आई0टी0/ 2016, दिनांक 17.11.2016 में विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य सम्पादन एवं संचालन हेतु उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु संस्थाएं नामित की गयी है। उक्त के आलोक में राजस्व परिषद उ0प्र0 द्वारा शासकीय कार्यहित में मण्डलों/जनपदों में डाटा इण्ट्री आपरेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु परिषदादेश संख्या–230/1–18–2017/क0सेल/10/2004 टी0सी0–02, दिनांक 05 जुलाई, 2018 सपठित परिषदादेश संख्या–262/1–18–2018/क0सेल/10/2004 टीसी–2, दिनांक 26 जुलाई, 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त तहसील कम्प्यूटर केन्द्र में आउटसोसिंग के माध्यम से तकनीकी मैनपावर रखे जाने हेतु शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं को अधिकृत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि परिषदादेश संख्या–230/1–18–2017/क0सेल/10/2004 टी0सी0–02, दिनांक 05 जुलाई, 2018 इस कार्यालय के सम्बन्धित पटल पर दिनांक 21.07.2018 को प्राप्त हुआ। पत्र प्राप्ति के पूर्व ही पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की कार्यवाही दिनांक 20.07.2018 को की गयी। पुनः इसी सम्बन्ध में परिषदादेश संख्या–262/1–18–2018/क0सेल/10/2004 टीसी–2, दिनांक 26 जुलाई, 2018 को प्राप्त हुआ। शासनादेश संख्या–1710/78–2–2016–135 आई0टी0/2016, दिनांक 17.11.2016 एवं परिषदादेश दिनांक 05.07.2018 व 26.07.2018 को संज्ञान में लेते हुए कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी और न ही चयन की कार्यवाही की गयी।

उपर्युक्त के दृष्टिगत जनपद स्तर पर जारी प्रेस–विज्ञप्ति दिनांक 05.03.2018 तथा इसके क्रम में की गयी कार्यवाही निरस्त की जाती है।

(दिव्य प्रकाश गिरि)
जिलाधिकारी,
सुलतानपुर।

प्रतिलिपि

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सुलतानपुर को जनपद की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी सुलतानपुर को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

जिलाधिकारी,
सुलतानपुर।